रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डब्लू.बी.-अ.-27102023-249750 CG-WB-E-27102023-249750

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4519]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 27, 2023/कार्तिक 5, 1945

No. 4519]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 27, 2023/KARTIKA 5, 1945

वस्त्र मंत्रालय

पटसन आयुक्त का कार्यालय

अधिसूचना

कोलकाता, 19 अक्टूबर, 2023

का.आ. 4707(अ).—जूट एवं जूट वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 की धारा 3(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटसन आयुक्त दिनांक 5 अक्तूबर, 2023 के एस ओ संख्या 4553(ई) के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उपखंड (ii) में वस्त्र मंत्रालय (पटसन आयुक्त का कार्यालय), भारत सरकार के आदेश में निम्नलिखित संशोधन करते हैं. यथा:

उक्त आदेश में, शब्दों, अंकों और पत्रों के लिए "31 अक्तूबर, 2023 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, जैसा कि निम्नानुसार उल्लिखित है। मैं यह भी निदेश देता हूँ कि कोई भी क्रेता या विक्रेता 31 अक्तूबर, 2023 तक निर्धारित दरों के अलावा क्रय या विक्रय का अधिकारी नहीं होगा।" शब्द, अंक या पत्र "31 जनवरी, 2024 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, जैसा कि निम्नानुसार उल्लिखित है, लागू रहेंगे। मैं यह भी आदेश देता हूँ कि कोई भी क्रेता या विक्रेता 31 जनवरी, 2024 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक निर्धारित दरों के अलावा क्रय या विक्रय करने का अधिकारी नहीं होगा" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं.- जूट(मार्केटिंग)/148/2023(2)] मलय चंदन चक्रवर्ती, पटसन आयक्त

6831 GI/2023 (1)

MINISTRY OF TEXTILES

(Office of the Jute Commissioner)

NOTIFICATION

Kolkata, the 19th October, 2023

S.O. 4707(E).—In exercise of powers conferred under the Clause 3(1) of Jute and Jute Textiles Control Order, 2016; Jute Commissioner makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Textiles (Office of Jute Commissioner), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-Section (ii) vide number S.O. 4553(E), dated the 5th October, 2023, namely:

In the said order, for the words, figures and letter "...to be in force until 31st October, 2023 or further orders whichever is earlier as mentioned below. I further direct that no buyer and no seller will be entitled to buy or sell other than these rates specified till 31st October, 2023.", the words, figures and letters "...to be in force until 31st January, 2024 or further orders whichever is earlier as mentioned below. I further direct that no buyer and no seller shall be entitled to buy or sell at rates lower than these rates specified till 31st January, 2024 or further orders whichever is earlier." shall be substituted.

[F. No. Jute(Mktg)/148/2023(2)] MOLOY CHANDAN CHAKRABORTTY, Jute Commissioner